न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 564 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

इकबाल सिह पुत्र गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह जाति जटसिख सा. नुकेरा तह संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पुत्र बुध सिह जाति जटसिख सा. नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरमीत कौर पुत्री गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पत्नी मनमोहन सिह जाति जटसिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पत्नी गुरदीप सिह जाति जटसिख सा. डबवाली तह. डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी
2– श्री चरणजीत सिह सिद्धू – वकील प्रति सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांक :– 27.11.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।चक 2 एन.के.आर खाता स. 22/18 खाता गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रति स. 1 गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह के नाम 625/1518 हिस्सा यानि 4.375 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 2 व 3 के पिता प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स.2 व 3 ने अपने पिता प्रति स. 1 से प्राप्त अपने हक व हिस्सा की आराजी [illegible] प्रति स. 1 के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 व 3 का कोई [illegible] शेष नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त [illegible] आर खाता स. 22/18 खाता गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह वगैरा ज.स. 20[illegible]76 में वादी व प्रति स. 1 ने आपस में घरू विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार प्रति स. 1 के नाम दर्ज आराजी में से 2.024 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है।उक्त खाता की शेष आराजी प्रति स. 1 के नाम बदस्तुर दर्ज रहेगी।उक्त आराजी में प्रति स. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 3 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीया के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीया को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीया के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद तहकीकात वाद वादी निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 2 एनकेआर खाता संख्या 22/18 खाता गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह वगैरा ज.स. 2073–76 मं प्रतिवादी संख्या 1 गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह के नाम दर्ज आराजी मे से 2.024 है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खाता की शेष आराजी प्रति.सं. 1 के नाम बदस्तुर दर्ज रहेगी। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। जवाबदावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी में वादी इकबाल सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 2 एनकेआर खाता संख्या 19/20 जमाबन्दी सम्वत 2045 जमाबन्दी की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 2 एनकेआर खाता संख्या 22/18 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पुत्र बुधसिह के [illegible] है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के [illegible] कोई विरोध नहीं किया है एवं वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है इसलिए वादपत्र को स्वीकार किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई।

Signature Not Ver
Digitally signed by Jai
Date: 2024.12.05 16:2
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 2 एनकेआर खाता स. 22/18 खाता गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह वगैरा ज.स. 2073–73 में प्रति स. 1 गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पुत्र बुध सिह के नाम है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया जा चुका है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर यह पाया गया कि पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में वादी को नियमानुसार 500/– रूपये के स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर नियमानुसार नकल जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी सं. 1 गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पुत्र बुध सिह के नाम चक 2 एनकेआर खाता संख्या 22/18 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज आराजी मे से वादी को 2.024 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 564 / 2024

इकबाल सिह पुत्र गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह जाति जटसिख सा. नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1. गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पुत्र बुध सिह जाति जटसिख सा. नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरमीत कौर पुत्री गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पत्नी मनमोहन सिह जाति जटसिख सा. संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पत्नी गुरदीप सिह जाति जटसिख सा. डबवाली तह. डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल पेश होकर रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रणजीत सिह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 गुरसेवक सिह उर्फ सेवक सिह पुत्र बुध सिह के नाम चक 2 एनकेआर खाता संख्या 22 / 18 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में दर्ज आराजी मे से वादी को 2.024 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज ...X... नल ...X... मुब्लिक ...X... निल ...X... बावत ...... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X... अदा ...

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ...... को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.05 16:20:50 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया